बइजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 334 / 2012
दायर दिनांक :– 10.09.2012

अनवान

श्री गुलाबचन्द पिता नन्दलाल कलाल नि. देवली हाल जहाजपुर

प्रार्थी......

बनाम

1. श्री रामस्वरूप पिता सुखदेव कलाल हाल नि. धौड तह0 जहाजपुर
2. श्रीमति मधूदेवी पत्नि विनोद कुमार नोलखा नि. आर के कॉलोनी भीलवाडा
3. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण......

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1–2 क जा.दी. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री नारायण शर्मा, वकील प्रार्थी
2. श्री ओमप्रकाश मुन्दडा, वकील अप्रार्थीगण

:: निर्णय ::

दिनांक 04.03.2020

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम जहाजपुर प0 ह0 जहाजपुर तह0 जहाजपुर के आ.न. 4789, 4790, 4793, 4794, 4796 / 1, 4796 / 2, 4757, 4798, 4791, 4792, 4799 के लिये एक वाद पत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके असल वाद सं. 157 / 07 व 212 रा. टे. एक्ट प्रार्थना पत्र के 87 / 07 है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र मे उपर वर्णित आराजी नं. के लिये दिनांक 24.10.2007 को जवाब पेश होने तक रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश दिया गया था। इसके उपरान्त अप्रार्थी रामस्वरूप व मधूदेवी ने नामान्तरकण नं. 4073 अपने पक्ष में 21.11.2011 को फैसल करवा लिया। 212 रा. टे. एक्ट के उक्त प्रार्थना पत्र मे रामस्वरूप मधू देवी व तहसीलदार जहाजपुर पक्षकार थे फिर भी नामान्तरकण फैसल कर खाता रददोबदल कर दिया। अप्रार्थीगण ने मान्य न्यायालय के आदेश के उपरान्त गलत तरीके पर नामान्तरकण फैसल करवाया है। इसलिये अप्रार्थीगण न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के सदंर्भ में सिविल जेल भेजा जाने की आज्ञा प्रदान कराये जाने की मांग की।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुये। जिन्हे शामिल फाईल किये गये। अप्रार्थीगण की और से अधिकार पत्र श्री ओम प्रकाश मुन्दडा एड0 ने पेश किया। वकील अप्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण खारिज करने इस बाबत प्रस्तुत किया गया की इस वाद के मूल वाद कमांक 157 / 07 व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र 87 / 07 दिनांक 08.05.2017 को खारिज हो चुके है। इस कारण अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश निरस्त हो चुका है। इस प्रार्थना पत्र का प्रार्थी की और से

Signed by: Ummed Singh Rajawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 12/03/2020 17:30:58

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसमें मूल वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज होना स्वीकार किया गया है।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 की नकल, नामान्तकरण की नकल, न्यायालय के आर्डरशीट की प्रति पेश किये गये। जिसे शामिल फाईल किया गया।

हमने वकूलाय फरिकेन की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी ने कथन किया की मूल वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज हो जाने के पश्चात अंतरिम निषेधाज्ञा की अवमानना की याचिका नही चल सकती है। अपने कथन के समर्थन में आर आर डी 2019 पेज 305 श्योपरी एण्ड अदर्स बनाम रामप्रताप एवं डी एन जे 2013 (2) पेज 847 शंकर लाल बनाम गन्नी देवी प्रस्तुत किये गये। वकील प्रार्थी ने उक्त आवेदन का विरोध कर यह कथन किया की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा में विचाराधीन है। मैने उभयपक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। तथा न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया। यह स्वीकृत तथ्य है की जिस अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आधार पर उक्त अवमानना याचिका विचाराधीन है। वह अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र खारिज हो चुका है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त सुस्पष्ट है की मुल वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज हो जाने के पश्चात अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आधार पर अवमानना याचिका नही चल सकती है। अतः न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित नही समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 39 नियम 1–2 क जा. दी. खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर

Signed by: Ummed Singh Rajawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 12/03/2020 17:30:58